प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सम्भल, स्थित चन्दौसी।

प्रशा0 आदेश संख्या : 179 /2020, दिनांक–03.09.2020

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व पत्र सं0–1293/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 16-07-2020 के द्वितीय पैरा में अधीनस्थ न्यायालयों को राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार शनिवार व रविवार बन्द रहने के संबंध में दिए गए निर्देश को पत्र सं0–1314/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 03-09-2020 के द्वारा राज्य सरकार के पत्र सं0–2023/2020, सी.एक्स–3 दिनांकित–01.09.2020 को दृष्टिगत् रखते हुए वापस ले लिया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त उर्णित पत्र सं0–1314, दिनांकित–03.09.2020 के अनुपालन में जनपद न्यायालय सम्भल स्थित चन्दौसी एवं बाह्य न्यायालय सम्भल व गुन्नौर पूर्व की भॉति द्वितीय शनिवार एवं चतुर्थ शनिवार को छोड़कर, अन्य शनिवार के कार्य दिवसों पर यथावत् न्यायिक कार्य करेंगे। यह भी आदेशित किया जाता है कि चतुर्थ शनिवार को जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी एवं बाह्य न्यायालय सम्भल व गुन्नौर के कार्यालय न्यायालय के कर्मचारीगण के लिए कार्य करने हेतु खुलेंगे।

समस्त संबंधित सूचित हों।

इस आदेश की प्रति जनपद न्यायालय, सम्भल स्थित चन्दौसी की बेबसाइट पर अपलोड की जाये एवं एक प्रति जिला सूचनाधिकारी को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने हेतु प्रेषित की जाये।

AKTripathi

(अश्विनी कुमार त्रिपाठी)
जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चंदौसी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त पीठासीन न्यायिक अधिकारीगण,
2. जिलाधिकारी, सम्भल,
3. पुलिस अधीक्षक, सम्भल,
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्भल
5. समस्त संबंधित बार अध्यक्ष/सचिव,
6. जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी), सम्भल,
7. संयुक्त निदेशक अभियोजन, सम्भल,
8. अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद।

AKTripathi

जनपद न्यायाधीश,
सम्भल स्थित चंदौसी।